

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
[भर्ती प्रकोष्ठ]
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-3/2025-स्था. (भर्ती)
No.F.2-3/2025-Estt.(RCT)

अंसारीनगर, नई दिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29
दिनांक:
Date:

17 JUN 2025

कार्यालयआदेश/OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रेडियोथेरेपी) के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of Senior Technical Officer (Radiotherapy) at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 22.05.2025, को वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रेडियोथेरेपी) के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों (रेडियोथेरेपी) को पे मैट्रिक्स के लेवल-8 में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रेडियोथेरेपी) के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है:-

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 22.05.2025 and its acceptance by the Competent Authority, the following Technical Officers (Radiotherapy) have been promoted to the post of Senior Technical Officer (Radiotherapy) in the Level-8 of Pay matrix from the date they assume the charge of the post of Senior Technical Officer (Radiotherapy):-

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	श्रेणी/ Category	Considered against the category	विभाग/ अनुभाग Department/ Section
1.	Sh. Yogesh Kumar	UR	UR	Dr BRA IRCH
2.	Ms. Archana Singh	UR	UR	Dr BRA IRCH

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रेडियोथेरेपी) के पद पर श्री योगेश कुमार की वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 22.05.2025 से प्रभावी होगी तथा सुश्री अर्चना सिंह की वरिष्ठता रिक्ति की दिनांक अर्थात् 02.06.2025 से प्रभावी होगी।

Seniority of Sh. Yogesh Kumar in the post of Senior Technical Officer (Radiotherapy) will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 22.05.2025 and seniority of Ms. Archana Singh will be effective from the date of vacancy i.e. 02.06.2025.

वे दिल्ली / नई दिल्ली / बड़सा, झज्जर / एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद / एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They shall be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future.

- Cont.2-

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाएँ वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र (गाज़ियाबाद), एन सी आई झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी भी अन्य केंद्र में स्थानांतरित है। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

Their service are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabgarh (Haryana), National Drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Bhadsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. They can be asked to perform duties in shifts also.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलों के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

[कमल भट्ट /K.C. BHATT]

प्रशासनिक अधिकारी /ADMINISTRATIVE OFFICER

सभी संबंधित व्यक्ति / All Persons concerned

द्वारा: संबंधित प्रमुख/विभागाध्यक्ष

Through:- Chief of Dr. BRAIRCH

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. डॉ. बी.आर.ए.आई. आर.सी.एच के प्रमुख
Chief of Dr. BRAIRCH
2. स्थापना अनुभाग - डॉ. बी.आर.ए.आई. आर.सी.एच
Establishment Section - Dr. BRAIRCH
3. लेखा अनुभाग - डॉ. बी.आर.ए.आई. आर.सी.एच
Accounts Section - Dr. BRAIRCH
4. सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग / सतर्कता प्रकोष्ठ
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell
5. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
ACR Cell /SC/ST Cell
6. प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें
Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website